विधान सभा संबंधी कार्य/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांकः प.11(1)विधि/2/2023 जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

विषयः–पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के अष्टम् सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम् सत्र शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 2023 से पुनर्संयोजित (Reconvening the Assembly) हो रहा है। अत : इस विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के क्रम में सचिवालय के समस्त प्रशासनिक विभागों से पुनः निवेदन है कि ऐसे विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुर :स्थापित करने का प्रस्ताव हो, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली पर पुरःस्थापन किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मय उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा यथा–आवश्यक वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के प्रारूपों की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिप्रमाणित प्रतियां (सॉफ्ट प्रति सहित) संलग्न कर संबंधित विधेयक प्रस्ताव **दिनांक 05.07.2023 तक आवश्यक रूप से** विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें विधान सभा की आगामी बैठकों में पुरःस्थापित कराये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सम्भव हो सके। उक्त तिथि के पश्चात भिजवाये गये विधेयक प्रस्तावों को विधान सभा में पुरःस्थापित कराया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

साथ ही विधेयक संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की स्थिति में तत्संबंधी **'शून्य'** सूचना भिजवायी जावे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई–मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Gy[illegible]rakash Gupta
Designation : Princip[illegible] ecretary To Government
प्रमुख शासन सचिव
Date: 2023.07.0[illegible] 25:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4169640